उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक २८.०३.१९९६ को सम्पन्न हुई वर्ष १९९६ की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त ।

दिनांक २८.०३.१९९६ की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

१.	श्री माता प्रसाद, अध्यक्ष/मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।	अध्यक्ष
२.	श्री ए०पी० सिंह, प्रमुख सचिव, आवास, उ०प्र० शासन ।	सदस्य
३.	श्री नृपेन्द्र मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन ।	सदस्य
४.	श्री मोहिन्दर सिंह, आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।	सदस्य
.	श्री के०पी० सिंह, विशेष सचिव, उ०प्र० शासन । (सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
.	श्री एच०के० शर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, लखनऊ ।	सदस्य
.	श्री प्रेम कुमार पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ ।	सदस्य
.	श्री एस०के० वर्मा, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।	सदस्य
.	श्री यज्ञवीर सिंह चौहान, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।	सचिव

विशेष आमन्त्री के रूप में :-

. श्री ए०के० पचौरी,
मुख्य वास्तुविद् नियोजक ।

. श्री जी०सी० हेननानी,
वित्त नियन्त्रक ।

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

१	२	३	४
१.	परिषद की प्रथम बैठक दिनांक १५.३.९६ की कार्यवृत्त की पुष्टि ।	द्वितीय/(१)/९६	पुष्टि की गयी ।
२.	परिषद की प्रथम बैठक दिनांक १५.३.९६ की अनुपालन आख्या ।	द्वितीय/(२)/९६	अवलोकित की गयी ।
३.	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के कार्यकलापों की माह फरवरी, १९९६ तक की अद्यावधिक प्रगति रिपोर्ट ।	द्वितीय/(३)/९६	अवलोकित की गयी ।
४.	वित्तीय वर्ष १९९५-९६ के पुनरीक्षित एवं वर्ष १९९६-९७ के प्रस्तावित आय-व्ययक ब्यौरेवार आय-व्यय अनुमान ।	द्वितीय/(४)/९६	निर्णय विचार, उपरान्त इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि परिषद अपनी देनदारियों के भुगतान संबंधी एक स्पष्ट कार्य योजना बना ले व समस्त अनिस्तारित सम्पत्तियों का अभियान के रूप में निस्तारण सुनिश्चित किया जाये ।
.	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सैक्टर-२५ में मनोरंजन पार्क हेतु आरक्षित ८.२५ एकड़ भूमि को निजी उद्यमियों के माध्यम से विकसित कराये जाने के संबंध में ।	द्वितीय/(५)/९६	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मेसर्स के०सी० होम्स को प्रदान की गयी स्वीकृति निरस्त करते हुए मेसर्स लेखराज बिल्डर्स द्वारा दायर एवं विचाराधीन याचिका में भी उपरोक्त निर्णयानुसार माननीय उच्च न्यायालय को स्थिति सूचित कर दी जाय ।
	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ के अन्तर्गत सिटी मान्टेसरी स्कूल को प्रदिष्ट १९,९०० वर्ग मीटर भूमि के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(६)/९६	निर्णय लिया गया कि पुनः परीक्षण कर प्रकरण प्रमुख सचिव, आवास के माध्यम से मुख्य सचिव के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये ।
	जन सुविधाओं संबंधी शासकीय एवं शिक्षण संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि आवंटन के संबंध में ।	द्वितीय/(७)/९६	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि स्कूलों/विद्यालयों को रियायती दर पर भूखण्ड दिये जाने के संबंध में शासनादेश सं०-१४३०/९-आ-१-९६, दिनांक २७.३.९६ के अनुसार उपरोक्त की दर तत्काल प्रभाव से २१ प्रतिशत कर दी जाय तथा उसमें से ३.५ प्रतिशत की छूट नियमित भुगतान करने पर दे दी जाय ।
	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के सैक्टर-९ में भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति को १,००० वर्ग मी० भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(८)/९६	विचार उपरान्त इस निर्देश के साथ स्थगित किया गया कि आवंटी संस्था के कार्यकलापों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर प्रकरण पुनः परिषद बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।
	परिषद द्वारा आवंटित सम्पत्तियों के विरुद्ध भुगतान में विलम्ब होने पर देय अतिरिक्त ब्याज के संबंध में ।	द्वितीय/(९)/९६	आवासीय सम्पत्तियों के संबंध में निर्धारित साधारण ब्याज के साथ विलम्ब अवधि के लिए ३.५ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लिया जाना अनुमोदित किया गया । तद्विषयक अनुमोदन प्रदेशन नियमावली में प्रस्तर-२६ व २८(३) में संशोधन स्वीकार किया गया । व्यावसायिक सम्पत्तियों के बारे में लिये जाने वाले अतिरिक्त ब्याज का प्रस्ताव परीक्षण करा कर परिषद बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय ।

२	३	४
परिषद की योजनाओं में प्रदिष्ट भूखण्डों पर विनियम-२२ के अनुसार भवन निर्माण समयवृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(१०)/९६	स्थगित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन स्तर पर समान नीति, भवन निर्माण में समयवृद्धि दिये जाने के संबंध में, बना ली जाय ।
परिषद की शाहपुर योजना सं०-२/३ गोरखपुर में श्री शिव बहादुर सिंह, पूर्व सैनिक को प्रदिष्ट मध्यम आय वर्ग भवन सं०-बी-१३४ पर देय दण्ड ब्याज की माफी के संबंध में ।	द्वितीय/(११)/९६	अनुमोदित किया गया ।
श्री रामपाल सिंह, पूर्व मन्त्री को बेतियाहाता कोर्ट आफ वार्ड्स योजना गोरखपुर स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं०-सी.पी.-२५ के संबंध में ।	द्वितीय/(१२)/९६	अनुमोदित किया गया ।
परिषद की गाजियाबाद स्थित वसुन्धरा योजना के अन्तर्गत श्री ए०के० गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स को आवंटित स्वंय वित्त पोषित भवन संख्या १५/१६५ के विरूद्ध देय दण्ड ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(१३)/९६	केवल ३.५प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज माफ किया गया ।
भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सं०-१, रामपुर में समाविष्ट खसरा सं०-४१/१ व ४१/२ में परिषद द्वारा अधिगृहीत भूमि में से उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की भूमि योजना से अर्जन मुक्त करने के संबंध में ।	द्वितीय/(१४)/९६	अनुमोदित किया गया ।
परिषद के कतिपय संवर्गो को सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(१५)/९६	स्थगित किया गया ।
परिषद द्वारा कानपुर नगर में संचालित योजनाओं के निर्माण एवं विकास कार्यो में व्याप्त अवरताओं के संबंध में श्री एस०एफ०एम० अली, अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जांच के संबंध में ।	द्वितीय/(१६)/९६	निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध चल रही जाँच शीघ्र पूर्ण कराई जाय व उक्त जाँच रिपोर्ट के साथ ही श्री अली के विरूद्ध की गयी जाँच आख्या परिषद बैठक में पुनः प्रस्तुत की जाय ।
स्थाई भण्डारकों, अभिलेखपाल, पुस्तकालयाध्यक्ष, अनुवादकों, मुख्यलिपिकों तथा सहायक श्रेणी-१ (प्रवर वर्ग सहायक) वेतनमान रू० १३५०-२२०० से मुख्य सहायक/कार्यालय अधीक्षक वेतनमान रू० १४००-२६०० के पद पर प्रोन्नति हेतु पात्रता अवधि ०३ वर्ष करने हेतु सेवा विनियमावली में संशोधन किये जाने के संबंध में ।	द्वितीय/(१७)/९६	स्थगित किया गया ।

२	३	४
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की लिपिकीय सेवा विनियम-१९८० के प्रस्तर-५(क)(७) में संशोध के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(१८)/९६	स्थगित किया गया ।
श्री एच०एस०मेहरा, अवर अभियन्ता की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।	द्वितीय/(१९)/९६	केवल पी०जी०आई० द्वारा सत्यापित चिकित्सा व्यय ३०.९३२.५५ की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया ।

आवास आयुक्त

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष